संख्या-**27/2020/183 /35-1-2020-860/2019 टी.सी.**

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन,
राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग),
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग **1** लखनऊ: दिनांक: **23** अप्रैल, **2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के □ंतर्गत बुंदेलखंड विक□स बोर्ड एवं पूर्वां□चल विक□स बोर्ड के रा□जस्व पक्ष में प्र□वधा□नित धनरा□शि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** का□कार्यालय-ज्ञाप संख्या-**1/2020/**बी-**1-149/**दस-**2020-231/2020** दिनांक **24** मार्च, **2020** का□सन्दर्भ में मुझा□यह कहना□का निदे□श हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष **2020-21** का□आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं-092-अन्य कार्यालय-09-बुंदेलखंड विकास बोर्ड"** के सुसंगत इकाईयों के अंतर्गत रु**0 237.00** लाख (रुपए दो करोड़ सैंतीस लाख मात्र) तथा **लेखा शीर्षक "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-10-पूर्वांचल विकास बोर्ड"** के सुसंगत इकाईयों के अंतर्गत रु**0 237.00** लाख (रुपये दो करोड़ सैंतीस लाख मात्र) अर्थात कुल रु**0 474.00** (रु**0** चार करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) की धनराशि को संलग्न विवरण में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों का वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास हेतु शासनादेश संख्या-**31/2018/147** बी**0**पी**0/35-1-2018-8/1(10)2018,** दिनांक:**28.12.2018** तथा शासनादेश संख्या-**31/2018/148**बी**0**पी**0/35-1-2018-8/1(10)2018,** दिनांक: **28.12.2018** द्वारा क्रमश: बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड एवं पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया गया है। प्रश्नगत धनराशि का व्यय अनिवार्यत: इसी मद में की जाय।

(2) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-**1-1195/**दस-**16/94** दिनांक: **06** जून, **1994** द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-**12** में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**1/2020/**बी-**1-149/**दस-**2020-231/2020** दिनांक **24** मार्च, **2020** में दिए गए निर्देशों**/**शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(6) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-**1** को प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष **2020-21** के अनुदान **संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं-092-अन्य कार्यालय-09-बुंदेलखंड विकास बोर्ड" तथा लेखा शीर्षक "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-10-पूर्वांचल विकास बोर्ड"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) □नुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या- **1/2020/**बी-**1-149/**दस-**2020-231/2020** दिनांक **24** मार्च, **2020** में दिए गए निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

संख्या-27/2020/183(1)/35-1-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ0प्र0, लखनऊ।
(5) राज्य योजना आयोग, □नुभाग-**1**, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) □नुभाग-**5**, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) □नुभाग-**1/2** उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

शासनादेश संख्या-**27/2020/183/35-1-2020-860/2019 टी.सी.**

दिनांक: 23 अप्रैल,**2020** का संलग्नक

(रुपये लाख में)

क्र0 सं0	कोड नं0	मद का नाम	बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड हतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हतु स्वीकृत धनराशि	पूर्वांचल विकास बोर्ड हतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हतु स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	04	यात्रा व्यय	20.00	20.00
2	07	मानदेय	40.00	40.00
3	08	कार्यालय व्यय	10.00	10.00
4	09	विद्युत देय	25.00	25.00
5	10	जलकर/जल प्रभार	2.00	2.00
6	11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.00	5.00
7	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12.00	12.00
8	13	टेलीफोन पर व्यय	5.00	5.00
9	15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00	10.00
10	16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00	10.00
11	17	किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	10.00	10.00
12	18	प्रकाशन	10.00	10.00
13	22	अतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	6.00	6.00
14	29	अनुरक्षण	10.00	10.00
15	31	सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	10.00	10.00
16	42	अन्य व्यय	20.00	20.00
17	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00	10.00
18	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00	2.00
19	55	मकान किराया भत्ता	--	--
20	58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20.00	20.00
योग			237.00	237.00
महायोग			**474.00 (रु0 चार करोड़ चौहत्तर लाख मात्र)**	

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in